तत्काल

तिथि बद्ध

क्रमांक 6/4/90-2जी0एस0I,

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, अम्बाला, हिसार, रोहतक एवं गुड़गांवा के आयुक्तों, सभी उपायुक्तों एवं हरियाणा राज्य में सभी उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) ।
2. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय-चण्डीगढ़ ।

दिनांक, चण्डीगढ़, 27 मई, 1993.

विषय :- वर्कचार्ज/कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने बारे ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्कचार्ज/दै दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने संबंधी मामला कुछ समय से सरकार के विचाराधीन था । का गहन परीक्षणोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि इन वर्गों के कर्मचारियों की सेवाएं निम्न प्रकार से नि कर दी जायें ।

वर्कचार्जड कर्मचारी

वर्कचार्ज कर्मचारी जो दिनांक 31-3-93 को पांच वर्ष या इससे अधिक लगातार सेवा पूरी कर चुके हों उस दिन सेवा में थे, को दिनांक 31-3-1993 से नियमित कर दिये जायें । नियमित किये जाने पर ये कर्म हरियाणा राज्य में कहीं भी किसी प्रोजक्ट/कार्य पर स्थानान्तरित किये जा सकेंगे ।

कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी

कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो दिनांक 31-3-1993 को पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, उस दिन सेवा में थे, नियमित किये जायें । नियमित किये जाने पर ऐसे कर्मचारी ग्रुप 'डी' के सरकारी कर्मचारि लागू न्यूनतम वेतनमान तथा अन्य भत्ते एवं लाभ प्रदान किये जाने के पात्र होंगे, जो समवर्ती वेतनमान वाले ऐसे नि सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध हैं ।

2. आपके विभाग में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही विभाग के परामर्श से, यदि आवश्यक हो, 15 दिन के अन्दर-अन्दर कर ली जाये और इसकी सूचना सरकार को नि किये गये कर्मचारियों की संख्या सहित भेजी जाये ।

भवदीय,

हस्ता/-

संयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन,

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी वित्तायुक्तों तथा आयुक्तों एवं सचिवों को सूचनार्थ एवं आगामी आव कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

हस्ता/-

संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन

Immediate

Date Bound

No. 6/4/90-2GS I

From

The Chief Secretary to Govt., Haryana.

To

1. All the Heads of Department,
Commissioners, Ambala, Hissar, Rohtak and Gurgaon Divisions,
All Deputy Commissioners and All Sub-Divisional Officers (C)
in Haryana.

2 The Registrar, Punjab and Haryana High Court,
Chandigarh.

Dated, Chandigarh, the 27th May, 1993.

Subject : **Regularisation of Work-Charged/Casual/Daily rated employees.**

Sir,

The matter regarding the regularisation of the Work-charged/Casual/Daily rated emplo was enganging the attention of the Government for sometime past. After careful consideration it now been decided that the services of employees of these categories should be regularised as unde

Work-charged employees

The Work-charged employees who have completed five or more years of continuous se as on 31st March, 1993, and were in service on 31st March, 1993, shall be regularised. On r larisation, these employees shall be liable for transfer in the State of Haryana on any project/wo

Casual/Daily rated employees

The Casual and Daily rated employees who have completed 5 year's service on 31st M 1993 and wherein service on 31st March, 1993, shall be regularised. On regularisation, they sha put in the time scale of pay applicable to the lowest Group 'D' cadre in the Govt. and they w be entitled to all other allowances and benefits available to regular Govt. servants of corresponding grade.

2. Necessary action regarding regularisation of the services of such employees worki your department should be taken within 15 days in consultation with the Finance Departme necessary, under intimation to Govt. alongwith the number of employees so regularised.

Yours faithfully,
Sd/-
Joint Secretary General Administr
for Chief Secretary to Government, Ha

A copy is forwarded for information and necessary action to all the Financial Commissi Commissioners and Secretaries to Government, Haryana.

Sd/-